भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *232

जिसका उत्तर 07 अगस्त, 2024 को दिया जाना है ।

16 श्रावण, 1946 (शक)

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्ट-इन) का नियंत्रण गृह मंत्रालय को दिया जाना

***232. श्री गौरव गोगोई** :

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्ट-इन) का नियंत्रण गृह मंत्रालय को देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास साइबर सुरक्षा मामलों की बढ़ती जटिलता से निपटने के लिए बहु-मंत्रालयी प्रयास करने हेतु कोई दीर्घकालिक कार्यनीति है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्ट-इन) का नियंत्रण गृह मंत्रालय को दिए जाने के संबंध में दिनांक 07-08-2024 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *232 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) से (घ): भारत सरकार की साइबर सुरक्षा नीति एक समन्वित दृष्टिकोण पर केंद्रित है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी संबंधित मंत्रालय, विभाग और संगठन साइबर सुरक्षा मामलों की जटिलता को दूर करने के लिए मिलकर कार्य करें। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक ('एनसीएससी') द्वारा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन का मुख्य कार्य भारत के साइबर स्पेस को सुरक्षित रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सर्ट-इन और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र ('एनसीसीसी') द्वारा किया जाता है।

सरकार साइबर सुरक्षा मामलों की बढ़ती हुई जटिलता से पूर्णतया अवगत है। सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय किए हैं। सरकार ने देश में साइबर हमलों का सामना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित प्रणाली भी स्थापित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी)।

ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है।

iii. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) देश में साइबरस्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु साइबरस्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

iv. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण का साइबर स्पेस तक विस्तार करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर विश्लेषण केंद्र है और विद्वेषपूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है तथा नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा टिप्स और सर्वोत्तम पद्धतियां भी प्रदान करता है।

v. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) बनाया है।

vi. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

vii. दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के लिए संभावित साइबर खतरों की निगरानी करने और पता लगाने तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए हितधारकों को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए एक दूरसंचार सुरक्षा प्रचालन केंद्र (टीएसओसी) का गठन किया है।
